



रोहित कंसल अमित शुक्ला

महिलाओं के नेतृत्व में चक्रीय अर्थव्यवस्था स्वच्छ गांव, सशक्त आजीविका

ग्रामीण भारत में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह यह साबित कर रहे हैं कि गांवों को स्वच्छ बनाने और आजीविका के साधनों को सुदृढ़ करने के प्रयास एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये समूह परिवारों को संगठित करके, व्यवहार में सकारात्मक बदलाव को प्रोत्साहित करके और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम स्थापित करके स्थानीय सरकारों तथा अन्य संस्थाओं के प्रयासों को पूरक बना सकते हैं। कई राज्यों के अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि इन मॉडलों की सफलता के लिए समन्वय, व्यावहारिक कौशल, वित्तीय सहायता तक पहुंच और विश्वसनीय बाज़ारों की उपलब्धता आवश्यक है।

ग्रामीण भारत में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। उपभोग के बदलते तौर-तरीकों के कारण गांवों में प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य गैर-जैव-अपघटनीय अपशिष्ट की मात्रा बढ़ रही है। इससे जनस्वास्थ्य, भूजल और कठिन प्रयासों से प्राप्त स्वच्छता संबंधी उपलब्धियों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। हालांकि, यदि अपशिष्ट का जिम्मेदारीपूर्वक संग्रहण और प्रसंस्करण किया जाए, तो वह स्थानीय उद्यमों और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने तथा सामुदायिक स्वामित्व की भावना को सुदृढ़ करने वाला उपयोगी संसाधन भी बन सकता है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था की मूल अवधारणा सामग्रियों को अधिक समय तक उपयोग में बनाए रखने और त्यागे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा कम करने पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस अवधारणा को तभी साकार किया जा सकता है, जब घरेलू स्तर पर अपनाई जाने वाली आदतों, सार्वजनिक सेवाओं और व्यवहार्य आर्थिक गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित हो।

ऐसा अनुमान है कि भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2050 तक दो ट्रिलियन यूएसडी से अधिक का बाज़ार मूल्य और लगभग एक करोड़ रोज़गार के अवसर पैदा करेगी। इससे स्पष्ट होता है कि इस बदलाव से आर्थिक विकास और आजीविका के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं जुड़ी हैं।

महिलाओं के सामूहिक संगठन इस बदलाव का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। ग्रामीण महिलाएं लंबे समय से मरम्मत, पुनः उपयोग, खाद बनाने और बेकार समझी जाने वाली सामग्रियों से उपयोगी संसाधन प्राप्त करने जैसी गतिविधियों के माध्यम से इस अवधारणा को व्यवहार में लाती रही हैं। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) इस ज्ञान का लाभ उठाकर इसे संगठित सामुदायिक प्रयासों तथा स्थायी आजीविका के साधनों में बदल सकते हैं।

स्वयं सहायता समूह : बदलाव की मज़बूत आधारशिला

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) इस दिशा में प्रयासों के लिए एक मज़बूत संस्थागत आधार प्रदान करता है। 92 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह और उनके महासंघ महिलाओं को बचत, ऋण, आजीविका तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच जैसे विषयों पर एकजुट करते हैं। मिशन ने परिवारों को ऐसी कृषि-पारिस्थितिक पद्धतियां अपनाने में सहायता प्रदान की है, जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती हैं, प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देती हैं, बाहरी आदानों पर निर्भरता कम करती हैं तथा खेती की लागत और जोखिम घटाते हुए टिकाऊ उत्पादकता बनाए रखने तथा कृषि आय बढ़ाने में सहायक होती हैं। जहां किसानों की तत्परता, संस्थागत क्षमता और बाज़ार की संभावनाएं अनुकूल हों वहां यह पहल महिला किसानों को

लेखक रोहित कंसल भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव हैं। ई-मेलः secyrd@gov.in
सह-लेखक अमित शुक्ला भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। ई-मेलः jsrl1-mord@gov.in
सह-लेखिका डॉ. मोनिका भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप सचिव हैं। ई-मेलः monika.31@ips.gov.in

प्राकृतिक या जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ने का आधार प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों और क्षमता-निर्माण संबंधी प्रयासों के समर्थन से लगभग 30 लाख परिवार पहले से ही प्राकृतिक या जैविक खेती कर रहे हैं। स्थायी कृषि आजीविका की व्यापक रणनीति के अंतर्गत इस पहल को कृषि-पारिस्थितिकी संबंधी पद्धतियों से आगे बढ़ाकर प्रमाणन अथवा आश्वासन, संग्रहण, मूल्य संवर्द्धन और बाज़ार से जुड़ाव तक विस्तारित किया जा सकता है। 'लखपति दीदी' की परिकल्पना के माध्यम से महिलाओं के लिए अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण, खाद निर्माण और संसाधनों की पुनर्प्राप्ति जैसे क्षेत्रों में आजीविका तथा उद्यम के अवसरों का और विस्तार किया जा सकता है।

स्वास्थ्य, स्वच्छता और आजीविका का समन्वय

डीएवाई-एनआरएलएम की खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य तथा जल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई (एफएनएचडब्ल्यू) रणनीति एकीकृत समुदाय-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से इन क्षेत्रों से जुड़े सामाजिक निर्धारकों पर कार्य करने के अनेक अवसर प्रदान करती है। महिलाओं के सामूहिक संगठनों की बैठकें और सामुदायिक कार्यक्रम स्थानीय व्यवस्थाओं को मज़बूत करते हैं। वहीं, नियमित गृह भ्रमण और अनुवर्ती संपर्क, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) संबंधी संदेशों के बार-बार प्रसार तथा भोजन और पाक-कला के प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक तथा व्यवहारगत बदलाव को स्थायी बनाने में मदद मिलती है।

संबंधित मंत्रालयों और कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों के साथ समन्वय से कृषि-पोषण आधारित खेती, मुर्गीपालन और उससे जुड़े उत्पादों को बढ़ावा देने तथा सार्वजनिक पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए समुदाय को संगठित करने में सहायता मिलती है। यह रणनीति प्रोत्साहन और सम्मान के माध्यम से एफएनएचडब्ल्यू से जुड़े उत्पादों और उद्यमों को भी बढ़ावा देती है। एफएनएचडब्ल्यू के सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के व्यापक नेटवर्क के सहयोग से यह मंच पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी घरेलू पद्धतियों को सुदृढ़ करता है। साथ ही, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की चक्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी पहल के साथ समन्वय के अवसर का निर्माण करते हुए यह अपशिष्ट के पृथक्करण, पुनः उपयोग, खाद निर्माण और संसाधनों के अच्छे प्रबंधन के लिए एक मज़बूत आधार तैयार करता है।

डीएवाई-एनआरएलएम की आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई) के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को दूरदराज के गांवों, बाज़ारों और आवश्यक सेवाओं के बीच संपर्क बेहतर बनाते हुए परिवहन आधारित आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। यह परिवहन नेटवर्क उत्पादकों, उपभोक्ताओं और प्रसंस्करण केंद्रों को जोड़ने के साथ-साथ पृथक किए गए अपशिष्ट को पुनर्चक्रण, खाद निर्माण तथा संसाधन पुनर्प्राप्ति सुविधाओं तक एकत्र कर पहुंचाने में भी सहायक हो सकता है। इस प्रकार यह ग्रामीण चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

महिला नेतृत्व से सामुदायिक बदलाव तक

अपशिष्ट प्रबंधन तभी प्रभावी हो सकता है, जब घरों में अपशिष्ट का पृथक्करण किया जाए, कर्मचारी उसे सुरक्षित ढंग से संभालें तथा एकत्रित सामग्री विश्वसनीय प्रसंस्करण केंद्रों और बाज़ारों तक पहुंचाई जाए। दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ने के लिए समुदाय स्तर पर मज़बूत आधार प्रदान करता है। स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों के माध्यम से, जो नियमित बैठकें करते हैं, धनराशि और अभिलेखों का प्रबंधन करते हैं तथा ग्राम पंचायतों और फ्रंटलाइन विभागों के साथ मिलकर काम करते हैं, यह मिशन अपशिष्ट पृथक्करण, खाद बनाने और उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने को गांव की सामूहिक जिम्मेदारी बना सकता है।



वास्तव में, चक्रीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत घर से होती है। डीएवाई-एनआरएलएम सामुदायिक संस्थाओं में महिलाओं के नेतृत्व और घरेलू संसाधनों के प्रबंधन में उनकी

भूमिका को उपभोग, संरक्षण और आजीविका के बीच समन्वय स्थापित करते हुए सामूहिक कार्य में बदलता है।

डीएवाई-एनआरएलएम ने इस दिशा में एक कार्यान्वयन व्यवस्था विकसित की है, जिसमें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) शामिल हैं। ये मिशन संबंधित पहल के लिए प्रमुख संस्थागत आधार के रूप में कार्य करते हैं। ये मिशन महिलाओं को संगठित करते हैं, उनके कौशल का विकास करते हैं, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद करते हैं, स्थानीय सरकारों के साथ साझेदारी स्थापित करते हैं और व्यवहारगत बदलाव को प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही, ये महिलाओं के लिए अपशिष्ट प्रबंधन की पूरी मूल्य शृंखला में भागीदारी के अवसर तैयार करते हैं, जहां वे समुदाय को संगठित करने वाली कार्यकर्ता, उद्यमी, सेवा प्रदाता, चालक और प्रबंधक के रूप में काम कर सकती हैं। केरलम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और बिहार के उदाहरण दर्शाते हैं कि डीएवाई-एनआरएलएम के सहयोग से विकसित इस संस्थागत मंच को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सकता है और इसका व्यापक स्तर पर विस्तार भी किया जा सकता है।

केरलम : महिला उद्यमिता से अपशिष्ट प्रबंधन को नई दिशा

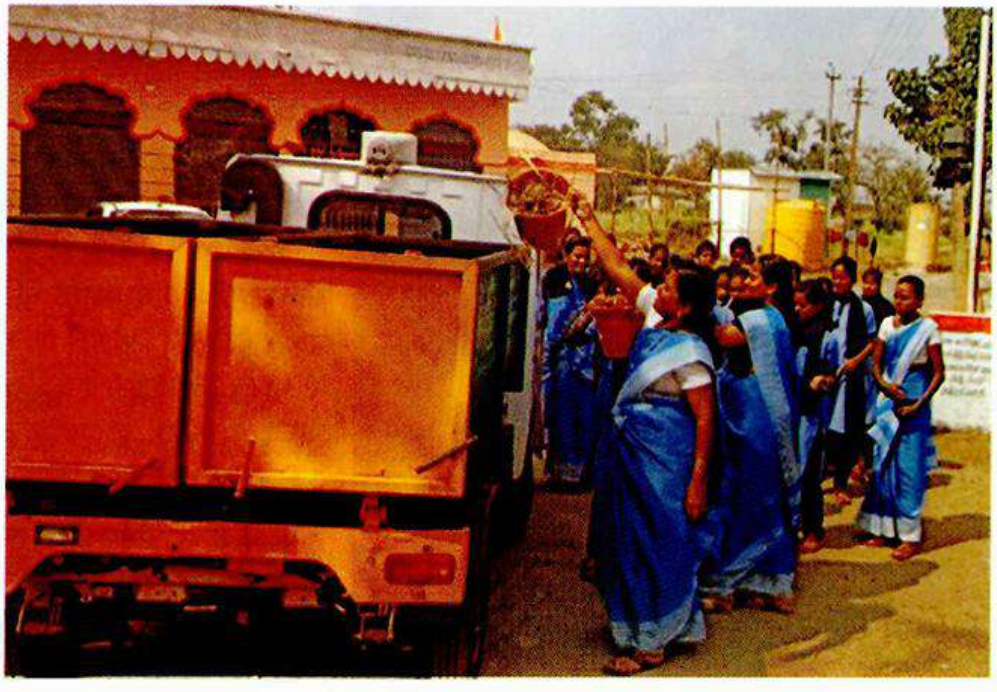
केरलम की हरित कर्म सेना (एचकेएस) यह दर्शाती है कि महिलाओं के नेतृत्व में संपूर्ण व्यवस्था किस प्रकार प्रभावी परिणाम दे सकती है। कुडुम्बश्री नेटवर्क के सहयोग से संचालित यह पहल स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और अन्य एजेंसियों के साथ साझेदारी में लागू की जा रही है। इसके तहत प्रशिक्षित महिलाओं को उद्यम समूहों में लाया गया है, जो संग्रहण, परिवहन, पृथक्करण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण का कार्य करती हैं। वर्तमान में पूरे राज्य में 4,438 उद्यम समूहों के माध्यम से 37,000 से अधिक सदस्य कार्यरत हैं। इन महिलाओं की आय के प्रमुख स्रोतों में उपयोगकर्ता शुल्क, पुनर्चक्रण एजेंसियों को गैर-जैव-अपघटनीय अपशिष्ट उपलब्ध कराने के बदले प्राप्त भुगतान तथा संबंधित अन्य गतिविधियों से होने वाली आय शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी औसत मासिक आय लगभग 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक, जबकि शहरी क्षेत्रों में 17,000 रुपये से 30,000 रुपये तक है। केरलम का अनुभव स्पष्ट करता है कि संस्थागत स्तर पर भूमिकाओं का स्पष्ट निर्धारण, स्थानीय सरकारों के साथ बेहतर समन्वय और आय के विविध स्रोत इस मॉडल की सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

कर्नाटक : ग्राम पंचायतों की सेवा व्यवस्था के साथ समन्वय

कर्नाटक का 'स्वच्छता नारी' मॉडल ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के केंद्र में स्वयं सहायता समूहों के उद्यमों को रखता है। तीन से पांच महिलाओं के समूह घर-घर जाकर अपशिष्ट पदार्थ एकत्र करते हैं, लोगों को अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए प्रेरित करते हैं, सामग्री का परिवहन करते हैं, खाद बनाते हैं और पुनर्चक्रण योग्य सामग्री बेचते हैं।

संजीविनी मिशन (केएसआरएलपीएस) तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करता है और ग्राम पंचायतों के साथ औपचारिक व्यवस्था स्थापित करने में सहायता करता है। वहीं, स्वच्छ भारत मिशन निगरानी, भुगतान, वाहनों की व्यवस्था तथा व्यवहार्यता अंतर की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 5,909 ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूहों के 17,343 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। 11,905 महिलाएं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों में कार्यरत हैं, जबकि 4,273 महिलाएं चालक के रूप में सेवाएं दे रही हैं। यह मॉडल दर्शाता है कि कैसे औपचारिक सेवा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और निरंतर मार्गदर्शन के माध्यम से सार्वजनिक आवश्यकता को आजीविका के एक भरोसेमंद साधन में बदला जा सकता है।

पश्चिम बंगाल : विस्तार योग्य क्षमता-निर्माण और उद्यम मॉडल



पश्चिम बंगाल ने विकेंद्रीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को अपनी ग्रामीण आजीविका संस्थाओं से जोड़ा है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित इकाइयां घरों से कचरा एकत्र करती हैं, उसका पृथक्करण करती हैं, प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण के लिए सामग्री उपलब्ध कराती हैं तथा योजना निर्माण और निगरानी के लिए पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर काम करती हैं। ज़िला और ब्लॉक स्तर के प्रशिक्षकों, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों, क्लस्टर स्तर के कार्यकर्ताओं तथा डिजिटल माध्यम से अनुवर्ती निगरानी के सहयोग से विकसित

चरणबद्ध प्रशिक्षण प्रणाली ने इस पहल के विस्तार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मई 2024 में पांच ज़िलों से शुरू हुई यह पहल अब कम-से-कम सात ज़िलों और 139 ब्लॉकों तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही, सभी 23 ज़िलों में एफएनएचडब्ल्यू से संबंधित क्षमता-निर्माण गतिविधियों का भी विस्तार हुआ है। उद्यम इकाइयों को उपयोगकर्ता शुल्क, पुनर्चक्रण योग्य सामग्री की बिक्री और सामुदायिक निधियों से आर्थिक सहायता मिलती है। राज्य का अनुभव दर्शाता है कि मानकीकृत प्रशिक्षण, चरणबद्ध विस्तार, समन्वय और वित्तीय सहायता के माध्यम से ऐसी पहल का व्यापक विस्तार किया जा सकता है।



बिहार : समग्र अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सामुदायिक जुटाव

बिहार का 'लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान' स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के अंतर्गत ठोस, तरल और प्लास्टिक अपशिष्ट के समुदाय के नेतृत्व में प्रबंधन का एक कार्यक्रम-आधारित मॉडल प्रस्तुत करता है। जीविका की संघीय संस्थाएं समुदायों को संगठित करती हैं, जबकि स्वच्छता कर्मी कचरे के पृथक्करण, खाद निर्माण, पुनः उपयोग और संग्रहण को बढ़ावा देते हैं। यह पहल सभी 38 ज़िलों, 8,053 ग्राम पंचायतों और लगभग 1.09 लाख ग्रामीण वार्डों में लागू है। 11.88 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह व्यवहार में बदलाव लाने के लिए व्यापक प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करते हैं। वहीं, आठ लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को ग्रे-वॉटर प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। चयनित क्लस्टर स्तरीय संघ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों और 'गोबरधन' सुविधाओं का प्रबंधन भी करते हैं। बिहार का अनुभव दर्शाता है कि बड़े पैमाने पर जुटाव और विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय के माध्यम से कैसे समग्र अपशिष्ट प्रबंधन को व्यापक स्तर पर लागू करना संभव है।

स्थानीय चक्रीय अर्थव्यवस्था : स्वच्छता से आर्थिक सशक्तीकरण तक

इन राज्यों के अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के नेतृत्व में अपशिष्ट प्रबंधन को सार्वजनिक सेवा के साथ-साथ आजीविका के अवसर के रूप में भी देखा जाना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों को औपचारिक दायित्व, तकनीकी कौशल, सुरक्षा उपाय, बीमा और समुदाय में निरंतर जागरूकता की आवश्यकता है। इसके साथ ही, ऐसी व्यावहारिक मूल्य श्रृंखलाएं विकसित करना भी आवश्यक है, जो संग्रहण को खाद निर्माण, पुनर्प्राप्ति, पुनर्चक्रण और सुनिश्चित बाज़ारों से जोड़ें, ताकि पर्यावरणीय लाभ को आर्थिक मूल्य में भी बदला जा सके।

स्थानीय चक्रीय अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण के लिए पूरक भूमिकाएं भी आवश्यक हैं। ग्राम पंचायतें सेवा के मानक निर्धारित कर सकती हैं; राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) व्यवहार परिवर्तन और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा दे सकते हैं; राज्य दीर्घकालिक दायित्व निर्धारित कर सकते हैं; जबकि तकनीकी और निजी क्षेत्र के भागीदार प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने तथा बाज़ार से जुड़ाव बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। छोटे गांवों में अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी मूल्य श्रृंखलाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए क्लस्टर अथवा ब्लॉक स्तर पर साझा सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं।

वित्तपोषण की व्यवस्था में इस दोहरी भूमिका को ध्यान में रखना आवश्यक है। सार्वजनिक निवेश बुनियादी परिसंपत्तियों और वित्तीय व्यवहार्यता के अंतर को कम करने में सहयोग प्रदान कर सकता है, जबकि बाज़ार आधारित साझेदारियां पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों, खाद और बायोगैस की मांग उत्पन्न कर सकती हैं। प्रगति का आकलन केवल संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसमें सुरक्षित कार्य परिस्थितियों, नियमित भुगतान, व्यवहार्य उद्यमों, महिलाओं की बढ़ती आय और सामग्रियों के पुनः उत्पादक उपयोग को भी शामिल किया जाना चाहिए।

भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की पहल का विस्तार कारखानों और पुनर्चक्रण पार्कों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे उन गांवों तक भी पहुंचना चाहिए, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में संसाधनों का उपभोग और प्रबंधन करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं के सामूहिक प्रयासों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बचत, ऋण तक पहुंच और आजीविका के अवसरों को पहले ही बदल दिया है। स्पष्ट दायित्वों, व्यावसायिक क्षमताओं और विश्वसनीय बाज़ारों के सहयोग से ये सामूहिक संगठन अपशिष्ट को स्थानीय आर्थिक मूल्य में बदलने, गांवों को अधिक स्वच्छ बनाने और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही, ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक टिकाऊ मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ❑